न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 85 / 2022

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 केएनएन तहसील नोहर।

–**प्रार्थीया**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 4/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन रतनुपरा तहसील नोहर के खाता स0 17 / 17 की कुल 5.3130है0 में में से 4779 / 35420 हिस्सा व रोही मौजा 12 केएनएन रतनुपरा तहसील नोहर के खाता स0 77 / 77 की कुल 7.9700है0 भूमि में से 1186 / 19925 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा है जबकि प्रार्थीया उक्त नाम के स्थान पर सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 केएनएन रतनपुरा दर्ज करवाना चाहती है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, सरंपच प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थीया का सही नाम कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी 12 केएनएन रतनपुरा दुरूस्त करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 2236 दिनांक 24.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज सन्तोष पुत्री काशीराम व संलग्न दस्तावेजों में दर्ज सन्तोष पत्नी दयाराम एक ही महिला है नाम दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही उचित है।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी 12 केएनएन रतनपुरा है जबकि राजस्व रिकार्ड में नाम [illegible] के दौरान प्रार्थीया का नाम सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा दर्ज हो [illegible] प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:55:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा चक 13 केएनएन रतनुपरा तहसील नोहर के खाता स0 17/17 की कुल 5.3130है0 में में से 4779/35420 हिस्सा व रोही मौजा 12 केएनएन रतनुपरा तहसील नोहर के खाता स0 77/77 की कुल 7.9700है0 भूमि में से 1186/19925 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया अपना नाम सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा के स्थान पर सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, सरपंच प्रमाण आदि में सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी 12 केएनएन रतनपुरा अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीया का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 केएनएन रतनुपरा तहसील नोहर के खाता स0 17/17 की कुल 5.3130है0 में में से 4779/35420 हिस्सा व रोही मौजा 12 केएनएन रतनुपरा तहसील नोहर के खाता स0 77/77 की कुल 7.9700है0 भूमि में से 1186/19925 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थीया सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा के स्थान पर सही नाम सन्तोष पत्नी दयाराम जाति मेघवाल निवासी 12 केएनएन रतनपुरा किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है**। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम सन्तोष पुत्री काशीराम जाति मेघवाल निवासी पदमपुरा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:55:59 IST
Reason: SelfAttested